

न्यायालय :-सदस्य, प्रथम अतिमोदुदाधिबालाघाट

शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी— वाचस्पति मिश्र)

मोटर दुर्घटना दावा क्र.-71/2017

संस्थित दिनांक -07.07.2017

फाईलिंग नंबर-158/2017

सी.एन.नंबर-एम.पी. 5005-001473-2017

- 1- महेन्द्र कपूर वल्के पिता रायसिंह वल्के उम्र 44 वर्ष
- 2- श्रीमती सुरमिला वल्के पति महेन्द्र कपूर वल्के उम्र 40 वर्ष
दोनों जाति गोंड निवासी-ग्राम बिठली थाना व तहसील बिरसा
जिला बालाघाट - - - - - **आवेदकगण।**

- / / **विरुद्ध** / / -

- 1- चंदन मेरावी पिता सीजन मेरावी उम्र 29 वर्ष जाति गोंड
निवासी-ग्राम दाऊटोला रेलवायी थाना तहसील बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.) **(वाहन चालक)**
- 2- नारायण सिंह मेरावी पिता प्रतापसिंह उम्र 50 वर्ष जाति गोंड
निवासी-ग्राम बिरसा थाना तहसील बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.) **(वाहन स्वामी)**
- 3- शाखा प्रबंधक, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय
खण्डेलवाल बिल्डिंग प्रथम तल स्टेशन रोड तहसील व जिला
बालाघाट (म.प्र.) **(बीमा कंपनी) - - - अनावेदकगण**

=====

आवेदकगण द्वारा श्री नंदकिशोर पंचेश्वर अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा श्री सुनिल बेले अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 2 अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री सिराज कुरैशी अधिवक्ता।

=====

- / / **अधिनिर्णय** / / -

(आज दिनांक **18 मई 2018** को घोषित)

1. आवेदकगण ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 26.02.2017 को
शाम 07:30 बजे ग्राम परसवाड़ा-चिखलाझोड़ी मेन रोड पर वाहन क्रमांक MP
50 BC 0937 द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से मृतिका रोशनी की दुर्घटना हो

जाने के फलस्वरूप प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

2. आवेदन पत्र का सार यह है कि मृतिका रोशनी 17 वर्षीय होकर कक्षा बारहवीं की मेधावी छात्रा थी। घटना दिनांक 26.02.2017 को शाम 07:30 बजे पोलबत्तूर मंदिर से पूजा करने वाहन क्रमांक MP 50 BC 0937 में बैठकर आ रही थी तभी वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर परसवाड़ा-चिखलाझोड़ी रोड के किनारे जामुन के पेड़ से वाहन को टक्कर मारकर वाहन पलटा दिया जिससे मृतिका रोशनी को गंभीर चोट कारित हुई, जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृतिका रोशनी की मृत्यु हो गई।

3. आवेदक क्रमांक 1 महेन्द्र मृतिका का पिता है तथा क्रमांक 2 श्रीमती सुरमिला माता है। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक चंदन मेरावी अनावेदक क्रमांक 1 था तथा वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 नारायणसिंह था एवं वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के पास दुर्घटना के समय बीमित था। बीमा पॉलिसी नंबर 321602/31/17/67000010613 होकर बीमा वैधता अवधि दिनांक 12.01.2017 से 11.01.2018 तक थी। मृतिका कक्षा बारहवीं की मेधावी छात्रा थी। सिलाई-कढ़ाई का कार्य कर 6000/-रुपए प्रतिमाह आय अर्जित करती थी। रोशनी की मृत्यु हो जाने से भविष्य में होने वाली आय की क्षति 648000/-, पुत्री सुख से वंचित होने से आवेदकगण को हुई क्षति 1,00,000/-, शारीरिक व मानसिक क्षति के पेटे 50,000/-, अंतिम संस्कार व तेरहवीं के मद में 25,000/- इस प्रकार कुल 8,23,000/-रु. राशि पाने के लिये दावा पेश किया है। साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।

4. अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने उत्तर पेश नहीं किया है।

5. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने उत्तर पेश कर आवेदन के संपूर्ण अभिकथनों को इंकार किया है, मृतिका 6,000/—रुपए प्रतिमाह आय अर्जित करती थी इंकार किया है। दुर्घटना दिनांक 26.02.2017 को 07:30 बजे ग्राम परसवाड़ा – चिखलाझोड़ी रोड दुर्घटना होने से इंकार किया है। उक्त दुर्घटना से मृतिका रोशनी की मृत्यु होने से इंकार किया है।

6. विशिष्ट कथन करते हुए अनावेदक क्रमांक 1 के पास विधिवत वाहन चालन अनुज्ञप्ति होने से इंकार किया है। आवेदकगण और वाहन स्वामी के बीच दुरभि संधि होना व्यक्त किया है। वाहन स्वामी द्वारा धारा 147, 149 मोटरयान अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन होना लेख किया है। धारा 170 मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधान के अधीन प्रतिरक्षा की अनुमति दिया जाना लेख किया है, दावा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। दुर्घटना से हुई क्षति के लिए अनावेदक क्रमांक 3 उत्तरदायी नहीं है। आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण के लिए निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए हैं :-

क्र.	विचारणीय बिन्दु	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 26.02.2017 को शाम 07:30 बजे परसवाड़ा से चिखलाझोड़ी रोड, खुरसुड़ चौक लोकमार्ग पर बस वाहन क्रमांक M.P.50 B.C.-0937 को अनावेदक क्र. 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर वाहन पलटने से रोशनी की मृत्यु कारित की ?	प्रमाणित
2.	क्या उक्त दिनांक को दुर्घटना में अंतरवर्तित वाहन क्रमांक M.P. 50 B.C.-0937 को का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 होकर अनावेदक क्रमांक 3 के पास घटना दिनांक को बीमित था ?	प्रमाणित

3.	क्या उक्त दुर्घटना कुमारी रोशनी की लापरवाही एवं गलती के कारण घटित हुई है ?	अप्रमाणित
4.	क्या दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक M.P. 50 B.C.-0937 को बीमा शर्तों का उल्लंघन कर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा चलाया जा रहा था ?	प्रमाणित
5.	क्या आवेदकगण कुमारी रोशनी वल्के की मृत्यु के कारण पृथक-पृथक अथवा संयुक्ततः अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 8,23,000 /—रु. तथा आवेदक दिनांक से भुगतान दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी है?	अवार्ड की कंडिका 15 के अनुसार राशि 590000 /— की सीमा तक देय।
6.	सहायता एवं व्यय ?	दावा आंशिक रूप से स्वीकृत।

वादप्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 का निष्कर्ष :-

7. महेन्द्र वल्के (आ.सा.1) ने व्यक्त किया है कि मृतिका उसकी 17 वर्षीय पुत्री थी तथा वह दिनांक 26.02.2017 को शाम 07:30 बजे वाहन क्रमांक M.P. 50 B.C.-0937 में बैठकर मंदिर से निकल रही थी तो उक्त वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने लापरवाहीपूर्वक ढंग से वाहन परसवाड़ा-चिखलाझोड़ी रोड पर जामुन के पेड़ से दुर्घटनाग्रस्त कर पलटा दिया जिससे आहत रोशनी के सिर में गंभीर चोट कारित हुई जिसे जिला चिकित्सालय बालाघाट में उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। साक्षी ने पुलिस चौकी डोरा थाना रूपझर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराया जाना तथा दुर्घटना से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए. 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.ए.2, प्र.ए. 3, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्र.ए.4, मार्ग इंटीमेशन प्र.ए.5, नक्शा पंचायतनामा प्र.ए.6, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए.7, अपराध विवरण फार्म प्र.ए.8, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.ए.9, अभिरक्षा पत्रक प्र.ए.10, वाहन परीक्षण रिपोर्ट

प्र.ए.11, वाहन सुपुर्दनामा आदेश की प्रति प्र.ए.12 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है।

8. महेन्द्र वल्के (आ.सा.1) ने जिरह में आक्षेपित वाहन क्रमांक M.P. 50 B.C.-0937 के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चालन के फलस्वरूप पेड़ से टक्कर मारकर दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में जिरह में स्थिर है। इसके विपरीत उक्त यान के चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने अपना परीक्षण नहीं कराया है। अतः खंडन के अभाव में उक्त साक्षी का बयान अभिलेख पर यथावत (Intact) है।

9. महेन्द्र वल्के (आ.सा.1) के बयान की पुष्टि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए. 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.ए.2, प्र.ए. 3, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्र.ए.4, मार्ग इंटीमेशन प्र.ए.5, नक्शा पंचायतनामा प्र.ए.6, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए.7, अपराध विवरण फार्म प्र.ए.8, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.ए.9, अभिरक्षा पत्रक प्र.ए. 10, वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए.11, वाहन सुपुर्दनामा आदेश की प्रति प्र.ए.12 से होती है। महेन्द्र वल्के (आ.सा.1) का बयान अपराध विवरण पत्रक (Spot map) की प्रविष्टि से टैली होता है। प्रस्तुत प्रकरण में **RES IPSO LOQUITUR** का सिद्धांत लागू होता है।

10. जहाँ तक योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है। उक्त संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा कोई पॉजिटिव साक्ष्य अभिलेख पर सामने नहीं लाया गया है। जिससे यह साबित होता कि मृतिका रौशनी वल्के की लापरवाही के कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई हो।

11. निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 26.02.2017 को वाहन क्रमांक क्रमांक M.P. 50 B.C.-0937 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चालन करने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना घटित होने से रौशनी की मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 1 निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 4 का निष्कर्ष :-

12. वादप्रश्न क्रमांक 2 को प्रमाणित करने का भार बीमा कंपनी पर है। बीमा कंपनी की ओर से अनुपम शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी ने व्यक्त किया है कि वाहन क्रमांक M.P. 50 B.C.-0937 उनके कार्यालय में प्राईवेट कार वाहन के रूप में दिनांक 12.01.2017 से 11.01.2018 तक के लिए विधिवत बीमित किया गया था जिसकी सिटिंग कैपिसिटी 11 व्यक्तियों की है। वाहन का बीमा प्र.ए. 1 अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है। यह स्पष्ट किया है कि उक्त पॉलिसी एक्ट पॉलिसी है। यह भी व्यक्त किया है कि दुर्घटना के समय 17 व्यक्ति बैठे थे।

13. अनावेदक बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क किया है कि आक्षेपित बीमा पॉलिसी एक्ट पॉलिसी होने के कारण उक्त वाहन में सवार यात्रियों के लिये कंपनी दायित्वाधीन नहीं है। तर्क की संपुष्टि में न्यायदृष्टांत :- **नेशनल इश्योरेंस कंपनी बनाम बालाकृष्णम 2013**

(1) (दु.) (मु.प्र.303) (एस.सी.) प्रस्तुत किया है।

14. संबंधित बीमा पॉलिसी का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। तथा इरडा की गाईडलाइन 16 नवम्बर 2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पैकेज पॉलिसी अथवा कम्प्रेहेंसिव पॉलिसी की दशा में प्रायवेट कार में सवार आकूपेंट (यात्रियों के लिये संविदा के अनुसार कंपनी दायित्वाधीन होती है) अतः प्रस्तुत पॉलिसी एक्ट पॉलिसी की श्रेणी की होने के कारण इस मामले में कंपनी दायित्वाधीन होना नहीं पाई जाती है। अतः निष्कर्ष है कि कंपनी बीमा कंपनी वादप्रश्न में निहित प्रमाणभार डिस्चार्ज करने में सफल रहती है।

वादप्रश्न क्रमांक 5 का निष्कर्ष :-

15. महेन्द्र वल्के (आ.सा.1) ने व्यक्त किया है कि मृतिका रोशनी कक्षा 12वीं की मेधावी छात्रा थी। अतः दुर्घटना के पूर्व मृतिका कम से कम

5,000/—रूपए मासिक नेशनल आय अर्जन करने की क्षमता मान्य किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। उक्त आधार पर गणना करने पर वार्षिक आय की क्षति 60,000/—निर्धारित की जाती है। चूंकि दुर्घटना के पूर्व मृतिका अविवाहित थी। अतः न्यायदृष्टांत :- “सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99” (सु.को.) के अनुसार 50 प्रतिशत राशि कम करने पर वार्षिक क्षति 30,000/— निकलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की आयु 17 वर्ष दर्शाई गई है। “सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99” (सु.को.) के अनुसार 18 का गुणांक अपनाया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार गणना करने पर $30000 \times 18 = 540000/-$ क्षति निर्धारित की जाती है तथा अंतिम संस्कार के मद में 15,000/—, संपदा की हानि के मद में 15000/—, वात्सल्य सुख की हानि के मद में 20000/— इस प्रकार कुल क्षति $(540000 + 15000 + 15000 + 20000) = 5,90,000/-$ निकलती है जो कि Just Compensation की श्रेणी में आती है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 05 निराकृत किया जाता है।

Pay & Recover

16. जैसा कि पूर्व पैराग्राफ में विश्लेषित किया गया है कि कंपनी आक्षेपित बीमा पॉलिसी एक्ट पॉलिसी होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार यात्रियों (Occupant) दायित्वाधीन होना नहीं पाई गई है। चूंकि मृतिका की आर्थिक हैसियत कमजोर वर्ग (गोंड जनजाति) से संबंधित है। अतः इस न्यायालय के अभिमत में प्रस्तुत प्रकरण में Pay & Recover का सिद्धांत लागू किया जाना न्यायसंगत है। न्याय दृष्टांत:-“ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड विरुद्ध चल्ला भारथम्मा व अन्य 2004 ए. सी. जे. 2094 में अभिनिर्धारित किया गया है, कि :-

"The residual question is what would be the appropriate direction, considering the beneficial object of the Act, it would be proper for the insurer to satisfy the award, though in law it has no liability."

न्यायदृष्टांत:- कुसुम लता व अन्य विरुद्ध सतबीर व अन्य ए.आई.आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट 1234 में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"In respect of the dispute about licence, the Tribunal has held and, in our view rightly, that the Insurance Company has to pay and then may recover it from the owner of the vehicle. This Court is affirming that direction in view of the principles laid down by a three-judge Bench of this Court in the case of National Insurance Company Limited V. Swaran Singh and others. Reported in (2004) 3 SCC 297: (AIR 2004 SC 1531).

17. अतः अनावेदक बीमा कंपनी को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवार्ड राशि 5,90,000 /-प्राथमिकता के आधार पर आवेदक याचिकाकर्ता के पक्ष में अदा करेगी तथा उक्त राशि अनावेदक क्रमांक 1, 2 से वसूल करने की अधिकारिणी होगी।

18. चूंकि मृतिका के ऊपर विधि के अंतर्गत उसकी मां श्रीमती सुरमिला वल्के पति महेन्द्र कुमार वल्के आश्रित होना पाई जाती है। अतः

आवेदक क्रमांक 2 उक्त अवार्ड राशि 1,50,000/— रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी होगी तथा शेष राशि 4,40,000/—रूपए 05 वर्ष की अवधि तक के लिये किसी राष्ट्रीकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जावेगी, जिस पर वह त्रैमासिक ब्याज आवश्यक खर्च हेतु प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। आवेदक क्रमांक 1 महेन्द्र वल्के जॉब में (शासकीय सेवक लोवर ग्रेड) होने के कारण मृतिका के ऊपर आश्रित होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः उक्त अवार्ड राशि से आवेदक क्रमांक 1 कोई प्रतिकर पृथक से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह मोटर दावा आंशिक रूप से उक्तानुसार स्वीकार की जाती है :-

सहायता एवं व्यय :-

{अ} आवेदक क्रमांक 2 श्रीमती सुरमिला वल्के पति महेन्द्र वल्के को प्राप्त होने वाली राशि 5,90,000/— में से 1,50,000/—रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी है तथा शेष राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जावे जिस पर वह त्रै-मासिक ब्याज अपने जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त करेगी।

{ब} उक्त अवार्ड राशि प्राथमिकता के आधार पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी आवेदक/याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को अदा करेगी तथा बाद में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से वसूल करने की अधिकारी होगी।

{स} आवेदिका श्रीमती सुरमिला वल्के उक्त प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 7 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से पाने के अधिकारिणी है।

{द} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{इ} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/—

(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

मेरे बोलने पर मुद्रित।

सही/—

(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अना.क.1, 2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15.00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	05.00		10.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	20.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	10.00
5.	अधिवक्ता फीस	1000-00	1000-00	1000-00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	योग —	1030.00	1020.00	1030.00

सही / —
(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर